

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल
Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb bpl@rediffmail.com

क्रमांक 59/6 /क्षेका/प्रनिबो/2017

भोपाल,दिनांक 14/9 /2017

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका कार्यालय,
इटारसी, जिला-होशंगाबाद, (म.प्र.)।

विषय:- सीमेन्ट गोदाम से होने वाले प्रदूषण के संबंध में प्राप्त जन शिकायत।

संदर्भ:- श्री सुरेन्द्र मेहता, सिंध हार्डवेयर के पास जनता टॉकीज रोड रेस्ट हाऊस एरिया, इटारसी जिला होशंगाबाद।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में लेख है कि बोर्ड के अधिकारियों द्वारा प्राप्त शिकायत के संबंध में पूर्व में दिनांक 12/06/2015 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय यह प्राप्त गया कि शिकायत में यह पाया गया कि सीमेन्ट गोदाम में लोडिंग, अनलोडिंग, के समय सीमेन्ट हवा में उड़ते हैं। इस कारण आस-पास के रहवासी लोगों को परेशानी होती है। चूंकि उपरोक्त व्यवसायिक गतिविधि नगर पालिका इटारसी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अतः आपसे निवेदन किया गया था कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

पुनः उक्त शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 14/04/2017 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय यह पाया गया कि शिकायत के निराकरण हेतु न तो दुकान मालिक द्वारा कोई खास कार्यवाही की गई है एवं न ही नगर पालिका इटारसी ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की। आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में उचित कार्यवाही कर समस्या का निराकरण करें। इसी आशय के साथ पोर्टल के माध्यम से शिकायत आपको ईसतारित की जा रही है।

संलग्न:- सी.एम.हेल्पलाईन शिकायत क्रमांक 3517944 दिनांक 19/03/2017

क्रमांक 59/7 /क्षेका/प्रनिबो/2017

भोपाल,दिनांक 14/9 /2017

प्रतिलिपि:-

- श्री सुरेन्द्र मेहता, सिंध हार्डवेयर के पास जनता टॉकीज रोड रेस्ट हाऊस एरिया, इटारसी जिला होशंगाबाद।

क्षेत्रीय अधिकारी


निरीक्षण प्रतिवेदन

संदर्भ:— डॉ. श्री. एस मेहता, सिंध हार्डवेयर के पास जनता टॉकीज रोड रेस्ट हाऊस एरिया, इटारसी जिला होशंगाबाद से प्राप्त शिकायत।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में लेख है कि उक्त शिकायत सी.पी.सी.वी के माध्यम से प्राप्त हुई थी जिसके संबंध में बोर्ड के अधिकारियों द्वारा पूर्व में दिनांक 12/06/2015 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय यह पाया गया कि सीमेन्ट गोदाम में लोडिंग, अनलोडिंग, के समय सीमेन्ट हवा में उड़ती है। इस कारण आस-पास के रहवासी लोगों को परेशानी होती है। चूंकि उपरोक्त व्यवसायिक गतिविधि नगर पालिका इटारसी अधिकार क्षेत्र का अंतर्गत आती है। अतः मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी से निवेदन किया गया था कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

पुनः उक्त शिकायत सी.एम.हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त होने पर दिनांक 14/04/2017 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय यह पाया गया कि शिकायत का निराकरण हेतु न तो दुकान मालिक द्वारा कोई ठोस कार्यवाही की गई है एवं न ही नगर पालिका इटारसी ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की। मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी से इस संबंध में चर्चा की गई उनको शिकायत के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं थी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी द्वारा इस संबंध में कार्यवाही हेतु लिखित निर्देश चाहे गये। अतः उपरोक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी को इस कार्यालय के पत्र क्रं 5916 दिनांक 14/09/2017 (संलग्न) के माध्यम से कार्यवाही हेतु लिखा गया। प्रत्यक्ष के माध्यम से शिकायत मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी को हस्तारित की गई है।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार


(डॉ. ए.सी.करेरा)
मुख्य रसायनज्ञ
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)।

10677

क्षेत्रीय कार्यालय
 मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
 पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल
 Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb bpl@rediffmail.com

क्रमांक 6189 /क्षेका/प्रनिबो/2017

भोपाल,दिनांक 3/10/2017

प्रति

विधि अधिकारी
 म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
 भोपाल (म.प्र.)।

14712
 5/10/17


विषय:- सीमेंट गोदाम के संबंध में प्राप्त शिकायत।


संदर्भ :- मुख्यालय का पत्र क्र. 218 दिनांक 14.09.2017

.....00.....

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त शिकायत के संबंध में इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 14/04/2017 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रलेखन एवं की गई कार्यवाही संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।


 (डा. पुष्पेंद्र सिंह)
 क्षेत्रीय अधिकारी


 6/10

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल
Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb bpl@rediffmail.com

क्रमांक 6182 /क्षेका/प्रनिबो/2017

भोपाल,दिनांक 8/10/2017

प्रति,

विधि अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)।


विषय:- सीमेंट गोदाम के संबंध में प्राप्त शिकायत।

संदर्भ :- मुख्यालय का पत्र क्र. 218 दिनांक 14.09.2017

.....00.....

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त शिकायत के संबंध में इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 14/04/2017 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रत्येक स्तर को गई कार्यवाही संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।


(डॉ. पुष्पेंद्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

0/0

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर,ई-5,अरिया कालोनी,भोपाल-462016

Fax no :-91-755-2463712 Email : mpprb@rediffmail.com

कमांक Z/18/विधि/विजि/होशंगावाद/28/2017

भोपाल,दिनांक/ 24/ 9 17

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- सीमेंट गोदाम के संबंध में प्राप्त शिकायत ।

संदर्भ:- मुख्यालय का पत्र कमांक 1380 दिनांक 18.5.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत संबंधित पत्र के द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त पत्र के साथ डॉ० ब्रजेश्वर एस. मेहता जनता टॉकीज के पास, लक्कड़गंज, इटारसी (म.प्र.) से प्राप्त शिकायत के संबंध में चाहा गया कि शिकायत प्रतिवेदन आज दिनांक तक अप्राप्त है कृपया चाहा गया प्रतिवेदन 10 दिवस में भेजने का कष्ट करें ।

(सुधीर श्रीवास्तव,
विधि अधिकारी

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

Fax no -91-755-2463742 E-mail:it mppeb@rediffmail.com

क्रमांक 1380 विधि/विजि/क्षेकाभो/जिभो-92/2017 भोपाल, दिनांक 18/5
प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- सीमेंट गोदाम के संबंध में प्राप्त शिकायत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त पत्र के साथ डॉ० श्रीमती एस. मेहता जनता टॉकीज के पास, लक्कड़गंज, इटारसी (म.प्र.) से प्राप्त पत्र मूलतः संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है। कृपया शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच कर विस्तृत प्रतिवेदन 10 दिवस में भेजने का कष्ट करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित

o/c (सुधीर श्रीवास्तव)
विधि अधिकारी

1950
1951

1952
1953

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

1971
1972
1973
1974
1975

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that data is used responsibly and ethically.

5. The fifth part of the document discusses the importance of data governance and the role of various stakeholders in ensuring that data is managed effectively. It emphasizes the need for clear policies and procedures to guide data handling practices.

6. The sixth part of the document explores the future of data management and the potential of emerging technologies like artificial intelligence and machine learning. It suggests how these technologies can be leveraged to gain deeper insights from data and optimize organizational performance.

7. The seventh part of the document provides a summary of the key points discussed and offers recommendations for implementing a robust data management strategy. It encourages organizations to embrace a data-driven culture and invest in the necessary resources and skills.

8. The eighth part of the document includes a list of references and resources for further reading. It provides links to relevant articles, books, and industry reports that offer additional insights into data management best practices and trends.

9. The final part of the document is a conclusion that reiterates the importance of data management in the modern business landscape. It expresses confidence that the strategies and insights provided will help organizations achieve their goals and drive sustainable growth.

1950

1951

1952

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews, while secondary data was obtained from existing reports and databases.

The third part of the document focuses on the statistical analysis of the collected data. It describes the use of various statistical tools and software to identify trends and patterns. The results of these analyses are presented in a clear and concise manner, highlighting the key findings of the study.

Finally, the document concludes with a summary of the overall findings and their implications. It suggests that the data indicates a strong correlation between the variables studied, which has significant implications for the field. The author also provides recommendations for further research and practical applications of the findings.

12/15/20

12/15/20

12/15/20

Handwritten notes on the left side of the page, including a large heading at the top and several lines of text below it.

Handwritten notes on the right side of the page, including a large heading at the top and several lines of text below it.

Handwritten notes in the lower-left quadrant, appearing as a list or series of short paragraphs.

Handwritten notes in the lower-right quadrant, including a signature and a date.

Handwritten notes at the bottom left of the page, including a date and some additional text.


Handwritten notes at the bottom right of the page, including a date and some additional text.

1970

1970

1970

1970



1. संयुक्त राज्य अमेरिका
2. कनाडा

3. मexico
4. ब्राज़ील

5. अर्जेंटीना
6. कोलम्बिया

7. वेनेजुएला
8. पेरू

9. एक्वाडोर
10. चिली

11. पार्नाग्वे
12. उरुग्वे

13. सोलोमोन द्वीप
14. वाणीवा

15. फिजी
16. संयुक्त राजस्थान

17. भारत
18. पाकिस्तान

19. बांग्लादेश
20. नेपाल

STATE OF KERALA

DEPARTMENT OF JALSA

1991

1. JALSA

2. JALSA (1991)

3. JALSA CONTROL

4. JALSA CONTROL

5. JALSA CONTROL (1991)

6. JALSA CONTROL (1991)

7. JALSA CONTROL (1991)

8. JALSA CONTROL (1991)

9. JALSA CONTROL (1991)

10. JALSA CONTROL (1991)

11. JALSA CONTROL (1991)

12. JALSA CONTROL (1991)

13. JALSA CONTROL (1991)

14. JALSA CONTROL (1991)

15. JALSA CONTROL (1991)

16. JALSA CONTROL (1991)

17. JALSA CONTROL (1991)

18. JALSA CONTROL (1991)

19. JALSA CONTROL (1991)

20. JALSA CONTROL (1991)

21. JALSA CONTROL (1991)

22. JALSA CONTROL (1991)

23. JALSA CONTROL (1991)

24. JALSA CONTROL (1991)

25. JALSA CONTROL (1991)

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Second line of handwritten text, appearing to be a list or series of notes.

Third line of handwritten text, continuing the list or notes.

Fourth line of handwritten text, with some words appearing to be underlined.

Fifth line of handwritten text, underlined.

Sixth line of handwritten text, underlined.

Seventh line of handwritten text, underlined.

Eighth line of handwritten text, underlined.

Ninth line of handwritten text, underlined.

Tenth line of handwritten text, underlined.


Eleventh line of handwritten text, underlined.

Twelfth line of handwritten text, underlined.

Thirteenth line of handwritten text, underlined.

Fourteenth line of handwritten text, underlined.

Fifteenth line of handwritten text, underlined.



सं. ७३०१६/०४१६/२०१६/२०१६

DEPARTMENT OF GPPA

DEPARTMENT OF CLIMATE CHANGE

CC Division

सं. ७३०१६/०४१६/२०१६/२०१६

३१

३१

३१

Indira Paryavaran Bhawan
2nd Floor, Prithvi Vihar
Jorbagh Rd.
New Delhi-110019

Dated: 31st February, 2016

The Member Secretary
Central Pollution Control Board
Khanpur Bldg, Connaught Place
New Delhi-110005.

प्रति सम्बन्धित पत्रिका प्रमाणित रूप में प्रेषित करने के लिए प्रार्थना की जाती है।

आपके फाइल संख्या ७३०१६/०४१६/२०१६/२०१६ दिनांक २९/०२/२०१६ प्राप्त किया गया है।
आपके फाइल संख्या ७३०१६/०४१६/२०१६/२०१६ दिनांक २९/०२/२०१६, आन्ध्र प्रदेश राज्य
को भेजा गया है।

आपके फाइल संख्या ७३०१६/०४१६/२०१६/२०१६ दिनांक २९/०२/२०१६ प्राप्त किया गया है।
आपके फाइल संख्या ७३०१६/०४१६/२०१६/२०१६ दिनांक २९/०२/२०१६, आन्ध्र प्रदेश राज्य
को भेजा गया है।

Yours faithfully

(Signature)
Director, GPPA

Spec 2 Post

F.N. 28/A


B-53014 2016-17/IPC-II

2289

April 11, 2017

To,

The Member Secretary,
Madhya Pradesh Pollution Control Board
Panayasanan Park, E-5, Area, Cuttack
Bhubaneswar - 751006, Madhya Pradesh



Sub: Complaint received through MoEF & CC regarding illegal loading in Cement rucks.

Ref: Letter No. Q-16016/03/2017-CPA Dated: 28th February, 2017 of MoEF & CC

Sir,

A complaint is received from Dr. Smt. S. Mehta, Near Janta Talkies Lakkad Gunj, Nehru Nagar, Bursi, Madhya Pradesh, through MoEF & CC regarding air pollution due to illegal unscientific loading in cement trucks. The copy of complaint is enclosed.

It is requested that the matter may, kindly be examined at appropriate level and action as deemed fit may please be taken.

Yours As above

Yours faithfully,

(N.K Gupta)
Divisional Head - IPC - II

~~L.O~~
✓
R.O. to file work

AT Bhubaneswar
7/6/17



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı



कार्यालय नगर पालिका परिषद, इटारसी

क्रमांक/नपाई/18

इटारसी दिनांक 6/01/18

प्रति,

सिंध हाईवेवर


जगता टाकीज रोड

इटारसी

विषय :- सीमेंट गोदाम से हुए मूल प्रदूषण के संकेतों प्राप्त जनशिकायत के तत्काल निराकरण के लिए।

उपरोक्त विषयसम्बन्धी सूचना है कि यह माना गया है कि, सीमेंट गोदाम से हुए मूल प्रदूषण के समय सीमेंट हवा में उड़ता है इस कारण आस-पास के रहवासियों को परेशान करता है चूंकि उपरोक्त व्यवसायिक गतिविधि नगरपालिका इटारसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त रहवासियों से अपनी सीमेंट गोदाम अलग स्थल से हटाकर अन्यत्र स्थापित करें जिससे रहवासियों को निवासियों को परेशानी न होवे।

आपके द्वारा एक सप्ताह में सीमेंट गोदाम अन्यत्र स्थापित नहीं की जाता है तो नगरपालिका परिषद द्वारा आप पर दंड आरोपित किया जायेगा। इसके बाद भी आपका द्वारा सीमेंट गोदाम अन्यत्र स्थापित नहीं की जाती है तो आपको विरुद्ध नगरपालिका परिषद इटारसी द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगर पालिका परिषद, इटारसी


इटारसी दिनांक 6/01/18


क्रमांक/नपाई/18

1236

प्रतिलिपि :-

1. मान. अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका परिषद इटारसी का और सूचनाार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इटारसी की ओर सूचनाार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय मंत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर ई-5 अररा कालोनी भोपाल की ओर सूचनाार्थ प्रेषित।
4. डॉ श्रीमति एस. मेहता, मे. सिंध हाईवेवर के पास, जगता टाकीज रोड, इटारसी का और सूचनाार्थ प्रेषित।


06/01/2018



मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगर पालिका परिषद, इटारसी

स्मरण पत्र

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

Phone: 031-255-2463742 E-mail: mpppcb@rediffmail.com

क्रमांक ०४ विधि विधि होशंगाबाद/28/2017 भोपाल, दिनांक ०१/०१/१८

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- सीमेंट गोदाम के संबंध में प्राप्त शिकायत ।

- संदर्भ:-
1. मुख्यालय का पत्र क्रमांक 218 दिनांक 14.9.17
 2. आपका पत्र क्रमांक 6187 दिनांक 3.10.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त पत्र के साथ डॉ० श्रीमती एस. मेहता जनता टॉकीज के पास, लक्कड़गंज, इंदरसी (म.प्र.) की शिकायत के संबंध में आपके कार्यालय से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। कृपया शिकायत के परिपेक्ष्य में संस्थान के विरुद्ध वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1987 के प्रावधानों अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही कर, मुख्यालय को 10 दिवस में सूचित करने का कष्ट करें।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित

(सुधीर श्रीवास्तव)
विधि अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

Phone No. 0755-4278342 , E-mail – rompcb-bpl@rediffmail.com

क्रमांक 964 /क्षेका/प्रनिबो/2019
प्रति,


भोपाल, दिनांक 01/02/2019

डॉ० अविनाश चन्द्र करेरा,
मुख्य रसायनज्ञ,
क्षेत्रीय कार्यालय,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल ।

विषय:- सिंध हार्डवेयर स्टोर, जनता टाकीज रोड, लक्कड़गंज, इटारसी, जिला होशंगाबाद
के विरुद्ध न्यायालयीन वाद दायर करने बाबत ।
संदर्भ:- मुख्यालय का पत्र दिनांक 01-01-2018 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सिंध हार्डवेयर स्टोर, जनता टाकीज रोड, लक्कड़गंज, इटारसी, जिला होशंगाबाद के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1987 की धाराओं के अन्तर्गत न्यायालयीन कार्यवाही संस्थापित की गई है । अतः माननीय न्यायालय में वाद दायर करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है । कृपया बोर्ड अधिवक्ता के साथ वाद पत्र तैयार कर न्यायालय में वाद दायर करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

o/c-


(डॉ० पुष्पेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी


निरीक्षण प्रतिवेदन

संदर्भ:- डॉ. श्री. एस मेहता, सिंध हार्डवेयर के पास जनता टॉकीज रोड़ रेस्ट हाऊस एरिया, इटारसी जिला होशंगाबाद से प्राप्त शिकायत।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में लेख है कि उक्त शिकायत सी.पी.सी.बी के माध्यम से भी प्राप्त हुई थी। जिसके संबंध में बोर्ड के अधिकारियों द्वारा पूर्व में दिनांक 12/06/2015 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय यह पाया गया कि सीमेन्ट गोदाम में लोडिंग, अनलोडिंग, के समय सीमेन्ट हवा में उड़ती है। इस कारण आस-पास के रहवासी लोगों को परेशानी होती है। चूंकि उपरोक्त व्यवसायिक गतिविधि नगर पालिका इटारसी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अतः मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी से निवेदन किया गया था कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

पुनः उक्त शिकायत सी.एम.हेल्पलाईन के माध्यम से प्राप्त होने पर दिनांक 14/04/2017 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय यह पाया गया कि शिकायत के निराकरण हेतु न तो दुकान मालिक द्वारा कोई ठोस कार्यवाही की गई है एवं न ही नगर पालिका इटारसी ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की। मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी से इस संबंध में चर्चा की गई उनको शिकायत के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं थी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी द्वारा इस संबंध में कार्यवाही हेतु लिखित निर्देश चाहे गये थे। तदानुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी को इस कार्यालय के पत्र क्रं 5916 दिनांक 14/09/2017 (संलग्न) के माध्यम से कार्यवाही हेतु लिखा गया। पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी को हस्तारित की गई है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(डॉ. ए.सी.करेरा)
मुख्य रसायनज्ञ
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)।

AIR ANALYSIS REPORT

Report No. 618(A)/January/2019

Sample From:- M/s Sindh Hardware Store,
Janta Talkies road, Itarsi,
District- Hoshangabad

Analysed By :- Mr. Ravi Bharti
(Jr. Scientist)

S. No.	Description of sample	Date of collection	Collected by	Date of receipt	Date of analysis
1.	Ambient Air Quality near House of Shri Mehta, Janta Talkies road, Itarsi	22.01.2019	Mr. Ravi Bharti, Jr. Scientist, Mr. S.K. Kashyap, Sampler Regional Office, M. P. Pollution Control Board, Bhopal	25.01.2019	25.01.2019

AMBIENT AIR MONITORING RESULT

S. No.	Parameters	Unit	Result
1.	Reparable Suspended Particulate Matter	$\mu\text{g}/\text{M}^3$	236.22

1. Remark Show that the parameter exceeds the prescribed limit.


Report Prepared by


Chief Chemist

FORM III
[See Rule 17]

REGIONAL OFFICE,
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD,
Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P)
Phone No. -0755-2466392 E-mail :- romppcb_bpl@rediffmail.com

NOTICE OF INTENTION TO HAVE SAMPLE ANALYZED

To,
Shri Vipin Ghandwane
W/s Sindh Hardware Store
Janta Talkies Road
Harsi (M.P)

Take notice that it is intended to have analysed the sample of _____
from your premises which is being taken today the 22nd day of Jan 2019 from (1)

Ambient air quality in the
vicinity.

For the Sindh Hardware Store
Chubani

Prince
22/01/19
Name and designation of the person
who takes the sample

Here specify the stack, chimney or any other emission outlets.

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम-श्रेणी इटारसी

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
वृत्त, अदिनाश बन्द्य करेश
मुख्य सहायक, जे.
क्षेत्रीय कार्यालय,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेर कॉलोनी,
भोपाल

परिवादी

विरुद्ध

1. सिंध हाईवेयर स्टोर-
जनता टाकीज रोड
लक्कडगंज, इटारसी
जिला-होशंगाबाद

2. श्री विपिन कुमार चंदवानी बल्द श्री अशोक चंदवानी
अधिगृहिता, सिंध हाईवेयर स्टोर,
जनता टाकीज रोड,
लक्कडगंज, इटारसी,
जिला-होशंगाबाद

आरोपीगण

परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 200 द.प्र.सं. अपराध अन्तर्गत धारा 21 एवं 37 वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981

परिवादी निम्नलिखित परिवाद पत्र प्रस्तुत करता है -


- 1 यह है कि, परिवादी बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-4 के अन्तर्गत हुआ है। जिसका मुख्यालय भोपाल होकर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेर कॉलोनी, भोपाल में स्थित है। रायसेन जिला क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के नियंत्रण में आता है।
- 2 यह कि, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 4 के अन्तर्गत परिवादी बोर्ड को उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत कार्य करने एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने हेतु अधिकृत किया गया है। यह अधिनियम सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में प्रभावी है।
- 3 यह कि, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 43 के तहत परिवाद श्रवण करने का अधिकार होने से परिवाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
- 4 यह कि मुख्यालय के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 01-01-2018 के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सिंध हाईवेयर स्टोर, जनता टाकीज रोड लक्कडगंज, इटारसी, जिला-होशंगाबाद के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। (प्रदर्श-1)


2

5. यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 44 के अनुसार परिवादी बोर्ड के कार्यरत सभी सदस्य अधिकारी एवं कर्मचार लोकसेवक की श्रेणी में आते हैं तथा परिवादी बोर्ड की ओर संबंधित सदस्य अधिकारी द्वारा अधिकृत प्रथम श्रेणी अधिकारी डॉ० अविनाश चन्द्र करेरा मुख्य रसायनज्ञ के परिवादी बोर्ड की ओर से रावर परिवाद प्रस्तुत करने एवं संचालन के लिये मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 28 जून 2012 (प्रदर्श-2) के द्वारा अधिकृत किया गया है। डॉ० अविनाश चन्द्र करेरा मुख्य रसायनज्ञ का वर्तमान में परिवाद हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने हेतु प्रदत्त अधिकार पत्र की तारीख प्रदर्श-3 अनुसार है। अतः डॉ० अविनाश चन्द्र करेरा मुख्य रसायनज्ञ द्वारा हस्ताक्षर कर परिवाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
6. यह कि आरोपी क्रमांक-1 सिंध हार्डवेयर स्टोर एक सीमेंट गोदाम है तथा आरोपी क्रमांक 2 श्री विधिम कुमार चांदवानी दत्त श्री अशोक चांदवानी उक्त गोदाम के अधिगृहिता है जो उक्त सीमेंट गोदाम संचालन करने के लिये जिम्मेदार है। उक्त सीमेंट गोदाम के सभी कार्यकलाप संचालन तथा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण का पूर्ण दायित्व आरोपी क्रमांक 2 का है। वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 धारा 21 के अनुसार परिवाद पत्र में उल्लेखित अपराध हेतु वे उत्तरदायी हैं।
7. यह कि आरोपी इकाई का स्थल निरीक्षण दिनांक 22-01-2019 का प्रेषित गया (प्रदर्श-4) कि एवं पाया गया कि सीमेंट गोदाम में लोडिंग अगुआई के समय सीमेंट हवा में उड़ता जिससे आस पास के रहवाशियों का परेशान इतना है कि निरीक्षण विचर इकाई की परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन किया गया जिसमें परिणाम निर्धारित मानक सीमा से अधिक पाये गये (प्रदर्श-5) है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है एवं दंडणीय अपराध की श्रेणी में आता है।
8. यह कि परिवादी अपने परिवाद के समर्थन में सूची अनुसार दरतावेज प्रस्तुत कर रहा है।
9. यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 44 के अनुसार परिवादी बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। अतः उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त रखा जाना उचित होगा।

प्रार्थना

अतएव परिवादी बोर्ड की ओर से माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि न्यायहेतु में आरोपीगणों को वायु(प्रदूषणनिवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 धारा 21 का उल्लंघन करने के कारण धारा- 37 के तहत समुचित कार्यवाही की जाकर किन्हीं अनुसार सजा एवं अर्थदंड से दंडित किये जाने की कृपा करें।


परिवादी अधिवक्ता
(कृष्ण कुमार खडेलवाल)


परिवादी
डॉ० अविनाश चन्द्र करेरा मुख्य रसायनज्ञ
क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

न्यायालय ७ कानून मजिस्ट्रेट प्रथम-श्रेणी इटारसी जिला-होशंगाबाद

प्रकरण क्रमांक

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
द्वारा अधिनियम चन्द्र करेरा
मुख्य रसायनज्ञ
क्षेत्रीय कार्यालय,
पर्यावरण परिसर, ई-5 अररा कॉलोनी,
भोपाल

परिवादी

विरुद्ध

सिंध हार्डवेयर स्टोर, जनता टाकरीज राड
लकड़गंज, इटारसी, जिला-होशंगाबाद व अन्य

आरोपीगण

परिवादी साक्षियों की सूची-

डॉ० अविनाश चन्द्र करेरा, मुख्य रसायनज्ञ, क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।

परिवादी अपने परिवाद के समर्थन में दस्तावेजों की छायाप्रतियां निम्नानुसार प्रस्तुत करता है :-

- 1 जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत क्षेत्रीय अधिकारी को बोर्ड की अपर परिवाद प्रस्तुत करने संबंधी पत्र क्रमांक 08 दिनांक 01-01-2018 की छायाप्रति ।
- 2 म.प्र. राजपत्र दिनांक 28 जून 2012 की प्रति ।
- 3 क्षेत्रीय अधिकारी, भोपाल द्वारा परिवादी बोर्ड की ओर से न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु जारी अधिकार पत्र ।
- 4 निरीक्षण रिपोर्ट
- 5 विश्लेषण रिपोर्ट्स ।

K. Kumar

परिवादी अधिवक्ता
(कृष्ण कुमार खंडेलवाल)

A. Vinay Chandra

परिवादी
डॉ० अविनाश चन्द्र करेरा मुख्य रसायनज्ञ
क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल